कार्यालय नगर पंचायत रामपुर कारखाना, देवरिया।

पत्रांक ——/न0पं0रा0का/2016–2017 दिनांक 27 मार्च 2017

अल्पकालीन निविदा/कोटेशन सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नगर पंचायत रामपुर कारखाना जनपद देवरिया में आउटसोसिंग (ठेका) के माध्यम से सफाई कार्य हेतु कुशल सफाई श्रमिक/चालक व पम्प आपरेटर की आवश्यकता है। ठेका पर श्रमिकों की आपूर्ति हेतु श्रम विभाग में पंजीकृत फर्मों/निविदाताओं/सेवाप्रदाताओं के माध्यम से निम्नांकित श्रमिकों के प्रतिदिन दर के संबंध में मुहरबन्द निविदाये दिनांक 07–04–2017 को आमंत्रित की जाती है जो अपरान्ह 2.00 तक नगर पंचायत कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी जो उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र 1000–00 जमा कर कार्यालय से दिनांक 06–04–2017 को 11.00 से 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

श्रमिकों का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0सं0	श्रमिकों का प्रकार	योग्यता
1	सफाई श्रमिक	स्वस्थ मजदूर
2	ड्राईवर	ड्राइविंग लाइसेंस
3	पम्प आपरेटर	टेक्निकल डिपलोमा

नियम एवं शर्तेः–

1– निवदादाता द्वारा प्रति श्रमिक को न्यूनतम पारिश्रमिक के रूप में 259.00 प्रतिदिन की दर से दिया जाना अनिवार्य होगा। चालक/पम्प आपरेटर का पारिश्रमिक पी0डब्लू0डी0 के दरों के अनुसार होगा।

2– निविदादाता को निविदा के साथ चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जो 10 लाख से कम नहीं को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3– निवदि के साथ रू0 25000–00 (पचीस हजार रूपये मात्र) की जमानत धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना देवरिया के नाम बंधक होगा को जमा करना अनिवार्य होगा।

4– निविदा स्वीकृति के पश्चात आवश्यकतानुसार श्रमिकों की आपूर्ति हेतु संख्या निर्धारित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

5– निविदादाता को आयकर/व्यापार कर एवं श्रम विभाग/सेवा कर में पंजीकृत होना अनिवार्य हो, छायाप्रति संलग्न करें।

6– निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदादाता को निर्धारित स्टाम्प पर अपने खर्च से अनुबन्ध कराना आवश्यक होगा।

7– निविदा स्वीकृति के पश्चात आपूर्ति दाता के बिल से नियमानुसार निर्धारित करों की कटौती की जायेगी।

8– बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय में निहित होगा।

9– किसी भी घटना एवं दुर्घटना होने पर सेवाप्रदाता उत्तरदायी होगें।

/ /

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

पत्रांक 231(2) /दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय देवरिया।

2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय देवरिया।

3– एन0आई0सी0 देवरिया पर अपलोड करने हेतु।

4– सम्पादक दैनिक समाचार पेपर स्वतंत्र भारत/स्वतंत्र चेतना को अपने अगले अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5– सूचना बोर्ड पर चस्पा हेतु।

27/03/17

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

राधिका
राधिका देवी
अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।
अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
जनपद - देवरिया